



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

रेफ. प्लेक्स/सर्क/236

दिनांक: 17 जून 2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा सेवा प्रणाली (बीआईएस) और अंतर्राष्ट्रीय नियामक अनुपालन व्यवस्थाओं पर उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित करना

हम आपका ध्यान वाणिज्य विभाग (टीएनएम डिवीजन) से प्राप्त एक महत्वपूर्ण सूचना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) के तहत बीआईएस प्रमाणन चिह्न लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण से संबंधित है।

विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (FMCS) के तहत विदेशी निर्माताओं को भारत में निर्यात करने से पहले अनिवार्य BIS प्रमाणन आवश्यकताओं के अंतर्गत आने वाले उत्पादों पर मानक चिह्न के उपयोग के लिए BIS लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह योजना आयातित वस्तुओं के भारतीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सक्षम प्राधिकारी भारतीय आयातकों द्वारा विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (FMCS) के अंतर्गत BIS प्रमाणन चिह्न लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी चाहता है।

इसके अतिरिक्त, कृपया ब्रिटेन, अमेरिका, यूई, यूरोपीय संघ, रूस, कनाडा और न्यूजीलैंड में मौजूदा नियामक और अनुपालन व्यवस्थाओं के साथ-साथ सदस्य निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा करें। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार **17 जून 2026, शाम 5:00 बजे** तक ईमेल द्वारा bharti@plexconcil.org या shilpa@plexconcil.org पर भेजें।

सरकार के समक्ष उद्योग की चिंताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए परिषद के लिए आपकी समय पर दी गई प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

सस्नेह,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल